

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-28/2017 (2017/00087)वाद पत्र

अनवान

1-जानकीलाल आत्मज प्यारचन्द नाई निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

- 1-कैलाश आत्मज प्यारचन्द नाई निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल कैलाश चन्द्र सेन मारवाड़ी किराणा की दुकान मान दरवाजा बम्बा गेट के पिछे महादेव मंदिर के सामने सुरत गुजरात
- 2-बंशीलाल आत्मज प्यारचन्द नाई निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज० टी० एक्ट बाबत् विभाजन आराजी

1-हरिश टेलर

अधिवक्ता वादी

निर्णय


दिनांक 19.06.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के संयुक्त खकब्जे काशत की आराजियात संख्या 10 रकबा 0.66 है. 392 रकबा 0.51 है. 411 रकबा 0.20 है. 416 रकबा 0.12 है. 418 रकबा 0.28 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.77 है0, भूमि राजस्व खाता संख्या 99 पर स्थित है। जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 ,1/3 हिस्सा स्वतन्त्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 12.3.2019 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश


वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 10/1 रकबा 0.22 है0, 392/2 रकबा 0.37 है. किता 2 कुल रकबा 0.59 है. जानकीलाल पिता प्यारचन्द नाई सा.दे. खोदार रहन जीएसएस देवरिया आराजी संख्या 1112 रकबा 0.02 है0 आराजी संख्या 10/2 रकबा 0.22 है. 416/2 रकबा 0.09 है. 418 रकबा 0.28 है. किता 3 कुल रकबा 0.59 है. कैलाश पिता प्यारचन्द नाई सा.दे. खातेदार आराजी संख्या 10/3 रकबा 0.22 है. 392/1

रकबा 0.14 है. आराजी संख्या 411 रकबा 0.20 है. आराजी संख्या 416/1 रकबा 0.03 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.59 है. बंशीलाल पिता प्यारचन्द नाई सा.दे. खातेदार रहन जीएसएस देवरिया दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

  
गोविन्द सिंह  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
गोविन्द सिंह  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-28/2017 (2017/00087) वाद पत्र

अनवान

1-जानकीलाल आत्मज प्यारचन्द नाई निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-कैलाश आत्मज प्यारचन्द नाई निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल कैलाश चन्द्र सेन मारवाड़ी किराणा की दुकान मान दरवाजा बम्बा गेट के पिछे महादेव मंदिर के सामने सुरत गुजरात

2-बंशीलाल आत्मज प्यारचन्द नाई निवासी देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 आर०टी०एक्ट

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीया स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 10/1 रकबा 0.22 है, 392/2 रकबा 0.37 है. किता 2 कुल रकबा 0.59 है. जानकीलाल पिता प्यारचन्द नाई सा.दे. खोदार रहन जीएसएस देवरिया आराजी संख्या 1112 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 10/2 रकबा 0.22 है. 416/2 रकबा 0.09 है. 418 रकबा 0.28 है. किता 3 कुल रकबा 0.59 है. कैलाश पिता प्यारचन्द नाई सा.दे. खातेदार आराजी संख्या 10/3 रकबा 0.22 है. 392/1 रकबा 0.14 है. आराजी संख्या 411 रकबा 0.20 है. आराजी संख्या 416/1 रकबा 0.03 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.59 है. बंशीलाल पिता प्यारचन्द नाई सा.दे. खातेदार रहन जीएसएस देवरिया दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

गोविन्द सिंह  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 19.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा